भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2067

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवासों का अधूरा निर्माण कार्य

†2067. श्री ई. तुकारामः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को उनकी पूरी किस्तें नहीं मिली हैं, जिससे बेल्लारी सहित कर्नाटक के कई जिलों में आवासों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है।

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में पीएमएवाई-यू के तहत अब तक स्वीकृत कुल आवासों की संख्या, जारी की गई केंद्रीय सहायता और लंबित निधियों का बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार ने लंबित भुगतानों को शीघ्र जारी करने और स्वीकृत आवासों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पूर्ण संवितरण और परियोजना के पूरा होने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में जारी की जाती है। केन्द्रीय सहायता जारी करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनिवार्य अनुपालनों को पूरा करने पर निर्भर है, जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना, लाभार्थियों की आधार सीडिंग, तृतीय-पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), आवासों/परियोजनाओं के निर्माण चरणों की प्रगति की जियो-टैगिंग, भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) आदि के तहत साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)/ 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) परियोजनाओं का पंजीकरण और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य अनुदेश। पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को देय किस्तें जारी की जाती हैं।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, कर्नाटक राज्य के लिए पीएमएवाई-यू के तहत कुल 5.77 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 9,697 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर, राज्य को अब तक कुल 7,379 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। कर्नाटक के बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र सहित अब तक अनुमोदित, जारी केन्द्रीय सहायता के साथ स्वीकृत किए गए आवासों का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

मंत्रालय योजना की प्रगति के संबंध में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है, जिसमें आगे केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय पर अनुपालन प्रस्तुत करना और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करना शामिल है।

*****

दिनांक 11-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र सहित, कर्नाटक राज्य में पीएमएवाई-यू के तहत अनुमोदित, जारी की गई और जारी होने के लिए लंबित केंद्रीय सहायता के साथ-साथ स्वीकृत आवासों का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	ज़िला	स्वीकृत आवास (संख्या में)	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
1	बागलकोट	18,319	285.26	224.15
2	**बेल्लारी***	22,072	341.04	229.60
3	बेलगावी	41,547	675.22	450.05
4	बेंगलुरु ग्रामीण	6,879	112.86	85.25
5	बेंगलुरु शहरी	1,42,471	2,580.07	2,251.18
6	बीदर	13,081	202.87	133.66
7	चामराजनगर	4,745	73.71	64.73
8	चिक्कबल्लपुर	6,008	92.00	61.70
9	चिक्कामगलुरु	6,258	99.22	79.16
10	चित्रदुर्ग	16,480	283.89	199.72
11	दक्षिण कन्नड़	9,377	177.08	162.95
12	दावनगेरे	12,699	225.44	169.66
13	धारवाड़	22,662	399.71	293.03
14	गडग	15,529	240.79	205.86
15	हासन	9,107	150.29	112.62
16	हावेरी	14,542	227.88	160.57
17	कलबुर्गी	27,567	474.79	373.72
18	कोडागू	773	12.20	10.41
19	कोलार	7,876	136.67	101.43
20	कोप्पल	9,771	152.15	118.95
21	मंड्या	5,837	116.12	86.79
22	मैसूर	26,300	435.25	302.64
23	रायचूर	21,301	334.25	202.17
24	रामनगर	11,654	177.12	134.40
25	शिवमोगा	17,778	285.48	198.04
26	तुमकुरु	15,980	307.77	214.73
27	उडुपी	4,613	84.90	69.81
28	उत्तर कन्नड़	12,257	187.96	94.87
29	**विजयनगर ***	13,168	204.55	140.09
30	विजयपुरा	30,132	463.64	314.31
31	यादगीर	10,175	156.75	133.22
कुल		**5,76,956**	**9,696.89**	**7,379.43**